

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या - 55/2014/223 आर टी ए

1. जोराराम पुत्र हजारीराम जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. सुरेश पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

—अपीलांट

बनाम

1. प्रेम पुत्र बनवारी जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
2. मगतु पुत्र शिवलाल जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
3. भारता देवी पत्नि जयलाल जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र जयलाल जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. छोटूराम पुत्र जयलाल जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. रामलाल पुत्र जयलाल जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
7. सोहनलाल पुत्र जयलाल जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
8. सुभाष पुत्र जयलाल जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
9. विमला पत्नि रामकुमार जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
10. खेताराम पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
11. सिलोचना पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
12. सिघाराम उर्फ हरीराम पुत्र हजारीराम जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
13. छोटूराम पुत्र रूपराम जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
14. गुलाबसिंह पुत्र रूपराम जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
15. श्यामलाल पुत्र शिवलाल जाति धानक निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
16. वेद पुत्र बनवारी जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
17. रामधारी पुत्र माईलाल जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
18. धारा पुत्र माई लाल जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
19. दिपचन्द पुत्र माईलाल जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
20. लिछमण पुत्र माईलाल जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
21. रमेश पुत्र दली जाति धानक निवासी कुम्भाखेड़ा तहसील व जिला हिसार।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
23. उपपंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2012 न्यायालय सहायक कलैक्टर नोहर
प्रकरण सं. 223/2007 अनवानी प्रेम आदि बनाम भारतादेवी आदि

उपस्थित :-

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1, 2, 9 ता 12, 16 ता 21

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 22

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए

तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर मुताबिक रिकार्ड पक्षकारान की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादपत्र अन्तिम डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2009 मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव की मांग की गई थी। परन्तु तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण नहीं किया गया एवं ना ही कभी मौके पर गये केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है तथा तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा प्रत्येक पक्ष के हिस्सा के मुल्याकन करने संबंधी कोई कथन अंकित नहीं है जो राजस्व नियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया है जिसकी पालना तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा नहीं किये जाने के कारण विभाजन प्रस्ताव निरस्त होने योग्य था। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव के जरिये अपीलांट की भूमि कई टुकड़ो मे विभक्त हो गई है जिसके कारण काश्त करने मे असुविधा हो रही है। वादग्रस्त भूमि मे अच्छी किश्म की भूमि वादीगण/रेस्पो0 के हिस्से मे व खराब व घटिया किश्म की भूमि अपीलांट के हिस्से मे दर्ज की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट का नाम हरिसिंह दर्ज कर रखा है जबकि हजारी के तीन पुत्र सिधाराम, रामकुमार व जोराराम हुए। प्रतिवादी सं. 7 परमेश्वरी दिनांक 20.08.10 व रामकुमार दिनांक 09.11.2007 को फौत हो चुके है। इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा मृतक के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही नहीं

दिया गया एवं ना ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया जबकि समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार होना था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे कि व समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा, खाता तकसीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नही आने के कारण वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमे तहसीलदार द्वारा मौका कब्जा काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि के संबंध मे विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया तथा अपीलाधीन निर्णय के जरिये मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादपत्र अन्तिम डिक्री किया गया है जो सही है। अपीलांट उक्त अपील बिना किसी आधार के पेश की गई जो स्वीकार योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।
5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट का नाम हरिसिंह अंकित किया गया और इसी नाम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की तामील करवाई है जबकि अपीलांट जोराराम पुत्र हजारीराम है इसलिये अपीलांट को वादपत्र के संबंध मे कोई जानकारी नही होना साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा ना तो अपीलांट के सही नाम से तामील करवाई और ना ही खाता तकसीम करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। जिससे विभाजन के वाद मे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान की सहमति/राजीनामा नही होने पर वाद प्राथमिक किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा मे अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.07.2018 को उपस्थित हो।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

